भाग 'ब'
राजस्व क्षेत्र

अध्याय–3
सामान्य

(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय–3: सामान्य

3.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उगाही गई प्राप्तियों के रूझान एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पृष्ठभूमि के विरूद्ध संग्रह के लिए लम्बित बकाये कर के विहंगावलोकन को प्रदर्शित करता है।

3.2 प्राप्तियों का रुझान

3.2.1 वर्ष 2016–17 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आबंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी–3.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–3.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	58,098.36	66,582.08	74,172.42	81,106.26	85,965.92
	• करेतर राजस्व	12,969.98	16,449.80	19,934.80	23,134.65	28,944.07
	योग	**71,068.34**	**83,031.88**	**94,107.22**	**1,04,240.91**	**1,14,909.99**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	57,497.86	62,776.70	66,622.91	90,973.69	1,09,428.29[1]
	• सहायता अनुदान	17,337.79	22,405.17	32,691.47	31,861.34	32,536.87
	योग	**74,835.65**	**85,181.87**	**99,314.38**	**1,22,835.03**	**1,41,965.16**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**1,45,903.99**	**1,68,213.75**	**1,93,421.60**	**2,27,075.94**	**2,56,875.15**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**49**	**49**	**49**	**46**	**45**

(**स्रोतः** उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे)

राज्य के अंश में 10 प्रतिशत की वृद्धि (32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत) करने की 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन (2015–16) के क्रम में केन्द्रीय करों में राज्य के अंश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2016–17 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशत के रूप में **चार्ट–3.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'अ–कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्ष–0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

चार्ट–3.1

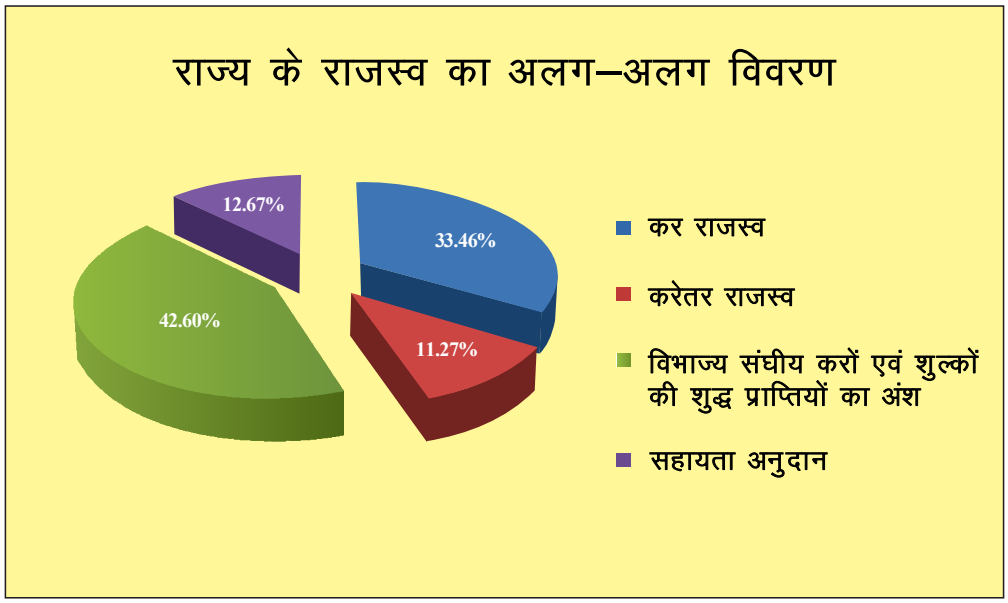

3.2.2 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी–3.2** में दिये गये हैं।

सारणी–3.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	की तुलना में वर्ष 2016–17 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2016–17 के ब0अ0	2015–16 के वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	38,492.18 34,870.16	43,936.00 39,645.45	47,497.92 42,931.54	52,670.69 47,692.40	57,940.30 51,882.88	(–) 10.45	(+) 8.79
2	राज्य आबकारी	10,068.28 9,782.49	12,084.00 11,643.84	14,500.00 13,482.57	17,500.00 14,083.54	19,250.00 14,273.49	(–) 25.85[2]	(+) 1.35
3	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	9,308.00 8,742.17	10,555.00 9,520.92	12,722.67 11,803.34	14,836.00 12,403.72	16,319.60 11,564.02	(–) 29.14[3]	(–) 6.77
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,093.90 2,993.96	3,713.00 3,442.01	3,950.00 3,797.58	4,658.00 4,410.53	5,123.80 5,148.37	(+) 0.48	(+) 16.73
5	अन्य[4]	1,094.68 1,709.58	1,905.00 2,329.86	2,327.34 2,157.39	2,250.31 2,516.07	2,622.80 3,097.16	(+) 18.09	(+) 23.10
योग		**62,057.04** **58,098.36**	**72,193.00** **66,582.08**	**80,997.93** **74,172.42**	**91,915.00** **81,106.26**	**1,01,256.50** **85,965.92**	**(–) 15.10**	**(+) 5.99**

(**स्रोतः** उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान)

वर्ष 2016–17 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–3.2** में प्रदर्शित किया गया है।

---

2 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसम्बर 2016 के आलोक में दुकानों को राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से 500 मीटर दूर स्थानन्तिरित किये जाने से अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क प्राप्त न होने के कारण कमी आयी।

3 विमुद्रीकरण के बाद अचल सम्पत्तियों के लेन–देन में गिरावट के कारण कमी आयी।

4 निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, मनोरंजन कर एवं दाँव कर।

चार्ट–3.2

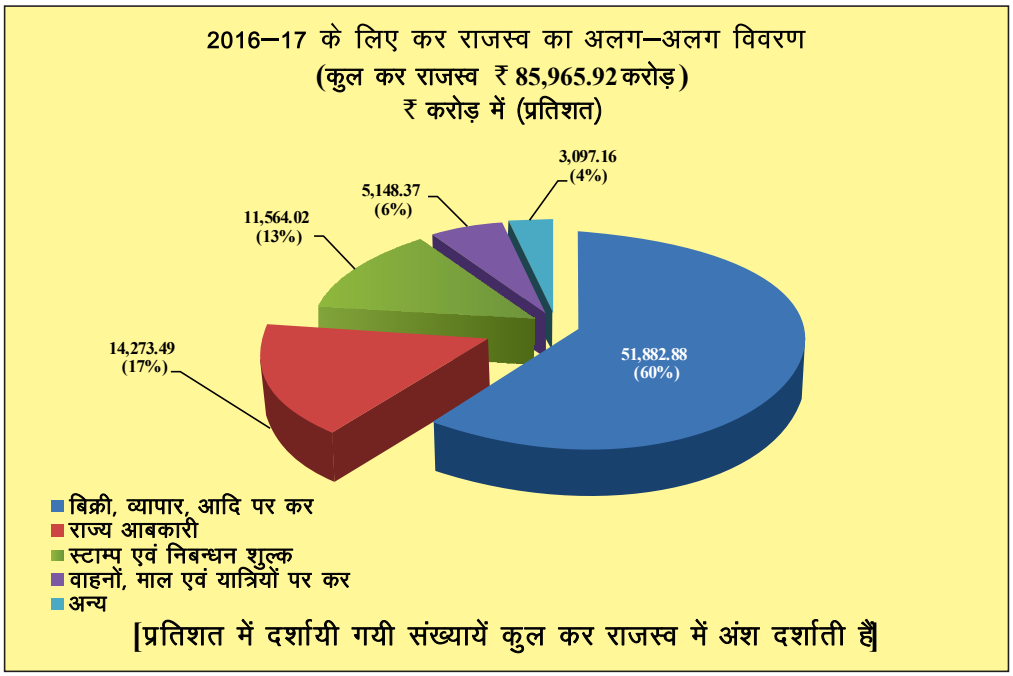

3.2.3 2012–13 से 2016–17 की अवधि दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारिणी–3.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–3.3
उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	की तुलना में वर्ष 2016–17 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2016–17 के ब0अ0	2015–16 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवायें	3,264.23 4,494.11	2,970.98 3,194.28	4,037.81 6,400.41	4,774.00 4,949.22	4,220.61 4,460.40	(+) 5.68	(–) 9.88
2	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	5,410.00 4,211.69	5,852.75 6,414.09	6,887.18 5,798.52	7,600.00 10,652.08	11,170.31 14,092.31	(+) 26.16	(+) 32.30[5]
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	954.00 722.13	1,000.00 912.52	1,100.00 1,029.42	1,500.00 1,222.17	1,650.00 1,548.39	(–) 6.16	(+) 26.69[6]
4	बिजली	90.00 72.80	270.00 1,060.81	2,700.00 967.87	2,700.00 1,322.17	2,700.00 2,938.85	(+) 8.85	(+) 122.27[7]
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[8]	4,455.59 3,469.25	3,088.75 4,868.10	5,506.96 5,738.58	5,062.32 4,989.01	4,499.93 5,904.12	(+) 31.20	(+)18.34
	योग	**14,173.82** **12,969.98**	**13,182.48** **16,449.80**	**20,231.95** **19,934.80**	**21,636.32** **23,134.65**	**24,240.85** **28,944.07**	**(+) 19.40**	**(+) 25.11**

(**स्रोतः** उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान)

वर्ष 2016–17 मे करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–3.3** में दर्शाया गया हैं।

---

5 सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वितरित वेतन की प्रतिपूर्ति के कारण वृद्धि हुई।

6 रायल्टी की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण वृद्धि हुई।

7 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0पी0सी0एल) को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार से अंश पूँजी की प्राप्ति के कारण वृद्धि हुई।

8 अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः ब्याज प्राप्तियाँ, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, इत्यादि।

चार्ट–3.3

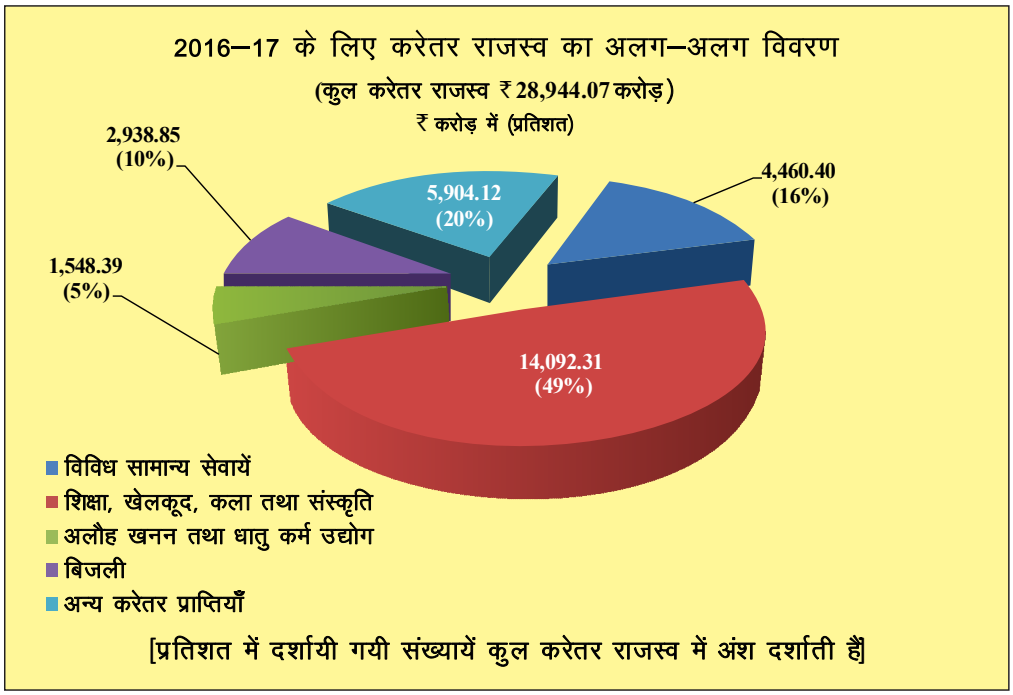

लेखापरीक्षा ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी–1.2 एवं 1.3)। वित्त विभाग ने प्रशासनिक विभागों के विगत वर्ष के बजट अनुमानों में एकपक्षीय रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि कर दी तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों पर विचार किये बिना ही उसे संगत वर्ष के लिए निश्चित कर दिया। वित्त विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा को बजट पत्रावलियाँ उपलब्ध कराने से मना करने के कारण इस त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारणों का आंकलन नहीं हो सका **(परिशिष्ट–I)**। इस प्रकार पत्रावलियाँ प्रस्तुत न करना डी0पी0सी0 एक्ट, 1971 की धारा 18(1)(ब) तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 181 में प्रतिष्ठापित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन है।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को बजट की तैयारी से सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराना चाहिये तथा बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजटिंग विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

3.3 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2017 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का राजस्व बकाया ₹ 28,070.32[9] करोड़ था, जिसमें से ₹ 11,863.23[10] करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था। विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण **चार्ट–3.4** में प्रदर्शित हैं।

[9] बिक्री, व्यापार, आदि पर करः ₹ 27,214.14 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्कः ₹ 373.63 करोड़; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर करः ₹ 93.37 करोड़; राज्य आबकारीः ₹ 53.18 करोड़; मनोरंजन करः ₹ 336.00 करोड़।

[10] बिक्री, व्यापार, आदि पर करः ₹ 11,803.03 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्कः विभाग के पास अनुपलब्ध; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर : विभाग के पास अनुपलब्ध; राज्य आबकारीः ₹ 52.18 करोड़; मनोरंजन कर : ₹ 8.02 करोड़।

चार्ट–3.4

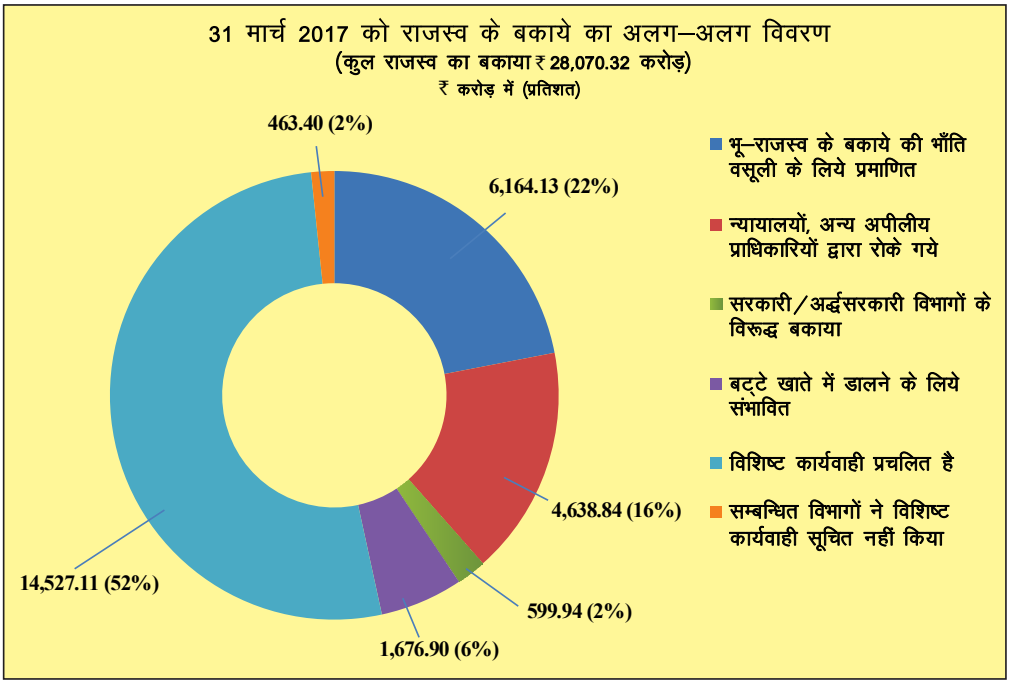

''उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली'' की लेखापरीक्षा में राजस्व बकायों पर एक विस्तृत विश्लेषण किया गया तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के प्रस्तर संख्या 4.4 में इंगित किया गया जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक कर वसूली अधिकारी की तैनाती, राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों को समय से जारी करने हेतु एक प्रणाली विकसित करने एवं राजस्व बकाया की प्रभावी वसूली को सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभाग के स्वीकृत पदों के अनुसार जनशक्ति को तैनात करने की अनुशंसा की गयी थी।

वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर कुल राजस्व बकाया ₹ 28,070.32 करोड़, राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,14,909.99 करोड़) का 24.42 प्रतिशत था जिसमें 42.26 प्रतिशत (₹ 11,863.23 करोड़) का बकाया पिछले पाँच या अधिक वर्षों से वसूली हेतु लम्बित था। यह राज्य में शिथिल राजस्व प्रशासन एवं अनुपालनहीनता का सूचक है। बकाये की मात्रा अनावश्यक रूप से अधिक है जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास करने की अवश्यकता है।

बकाया संग्रह के लम्बित होने के कारणों को पता करने हेतु लेखापरीक्षा ने संबंधित विभागों की पत्रावलियों एवं दस्तावेजों की जाँच की। विभागों ने लम्बित वसूली के विभिन्न चरणों को सूचित किया, परन्तु लम्बित बकाया से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व बकाये के विवरण उपलब्ध नहीं थे। विभागों[11] में बकाया संग्रह की प्रगति की निगरानी या बकाया संचय के कारणों के आकलन हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था। अग्रेतर, विभागों ने अदत्त बकाये का कोई केन्द्रीकृत डाटाबेस नहीं बनाया है। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अदत्त बकाये के आंकड़ों को प्रतिवर्ष क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित किया गया था।

[11] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

संस्तुतिः

विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाना चाहिए एवं बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी हेतु एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रिया विकसित किया जाना चाहिए।

3.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 205 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित) जिन्हें सितम्बर 2013 और मई 2017 के मध्य राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को देने में अत्याधिक विलम्ब देखा गया जो कि एक माह से 43 माह के मध्य था। विभिन्न विभागों[12] से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **सारिणी–3.4** में दिया किया गया है।

सारिणी–3.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधान मण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2012	16 सितम्बर 2013	56	56	00
2	31 मार्च 2013	20 जून 2014	49	32	17
3	31 मार्च 2014	17 अगस्त 2015	43	17	26
4	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
5	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	26	00
योग			**205**	**131**	**74**

वर्ष 2016–17 में (मई 2016 तथा जून 2016 के मध्य), लो0ले0स0 ने 2011–12 से 2013–14 के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 79 चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की। तथापि इन प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुई जैसा कि **सारणी–3.5** में उल्लिखित है।

सारणी–3.5

वर्ष	विभाग का नाम	योग
2011–12	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भूतत्व एवं खनिकर्म, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/वन, बाँट एवं माप	54
2012–13	राज्य आबकारी, परिवहन, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाँट एवं माप	18
2013–14	राज्य आबकारी, वाणिज्य कर	07
	योग	**79**

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

[12] वाणिज्य कर (25 प्रस्तर), राज्य आबकारी (3 प्रस्तर), परिवहन (17 प्रस्तर), स्टाम्प एवं निबन्धन (10 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (14 प्रस्तर) तथा मनोरंजन कर (5 प्रस्तर)।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विभाग लोक लेखा समिति की संतुतियों पर कार्यवाही आख्या त्वरित रूप से तैयार करें।

3.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को प्रतियों के साथ, सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

दिसम्बर 2016 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2017 के अन्त तक 11,943 नि0प्र0 से सम्बन्धित 41,138 प्रस्तर लम्बित थे। इन नि0प्र0 में प्रकाश में लाया गया प्रभावी वसूली योग्य राजस्व ₹ 6,898.44 करोड़ था, जबकि राज्य का कुल राजस्व संग्रह ₹ 1,14,909.99 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभागवार विवरण **सारिणी–3.6** में दिया गया है।

सारणी–3.6
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वित्त	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	5,454	24,113	3,694.75
		मनोरंजन कर	177	419	17.97
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकरी	1,021	1,807	878.59
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,299	5,282	825.22
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3,806	8,701	708.10
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	186	816	773.81
योग			**11,943**	**41,138**	**6,898.44**

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

यहाँ तक कि नि0प्र0 निर्गत करने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर समय से प्राप्त नहीं हुए। लेखापरीक्षा ने कार्यालयाध्यक्षों से एक नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर एक माह के अन्दर, 89 नि0प्र0 के मामलों में एक से छः माह के बीच तथा 52 नि0प्र0 के मामलों में छः माह बाद प्राप्त किया। वर्ष 2016–17 के दौरान जारी हुए 593 नि0प्र0 में से 451 नि0प्र0 के मामलों में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख प्रतिवेदित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संज्ञान लेने एवं इस सन्दर्भ में सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। कार्यालयाध्यक्षों का लेखापरीक्षा में रूचि का अभाव इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष प्रति वर्ष सम्बन्धित विभागों द्वारा बुनियादी स्तर पर बिना किसी सुधार/किसी सुधारात्मक कदम के साक्ष्य की दृश्यता के बिना प्रतिवेदित हो रही हैं।

इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें एवं नि0प्र0 के शीघ्र निस्तारण के लिये लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करें।

3.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के छः विभागों[13] को समाविष्ट किया तथा बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, मनोरंजन कर एवं खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 2,352 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 569 इकाईयों (24 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 एवं जून 2017 के मध्य 14 जिला आबकारी कार्यालयों की लेखापरीक्षा भी सम्पादित की गयी। अग्रेतर यह एक नमूना लेखापरीक्षा थी। 2015–16 के दौरान छः विभागों में ₹ 80,507.85 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 569 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 38,139.48 करोड़ (47 प्रतिशत) राजस्व संग्रहीत किया। 569 लेखापरीक्षित इकाईयों में टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जांच की गयी जिससे 3,061 प्रस्तरों में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित ₹ 2,246.74 करोड़ (छः प्रतिशत) के मामले पाये गये। सम्बन्धित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 593 मामलों में ₹ 9.12 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकारा। विभागों ने 336 मामलों में ₹ 2.72 करोड़ की वसूली भी की।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाए।

3.7 प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन

प्रतिवेदन के इस भाग में वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के 15 प्रस्तर शामिल है, जिनमें ₹ 1,751.89 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो राज्य सरकार के विभागों की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये हैं।

अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण स्वतः यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे अपेक्षानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

विभागों ने ₹ 1,535.14 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है तथा ₹ 80.46 लाख की वसूली की है। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–4 से 7 में की गयी है।

[13] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।